इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,इलाहाबाद
प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 14/06/2017 मा0उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरूद्ध चलाये जा रहें संयुक्त अभियान के क्रम में महत्मा गॉधी मार्ग (हनुमान मंदिर चौराहे से हर्षवर्धन चौराहे तक) मालवीय रोड तथा जवाहर लाल नेहरू रोड (बालसन चौराहे से फोट रोड चौराहा तक) नाले–नाली एवं सड़क पटरी पर स्थित स्थाई व आस्थाई अतिक्रमणों को हटाये जाने हेतु अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के दौरान 01 पक्की दीवार, 03 स्थाई रैम्प, 01 अस्थाई कब्जा, 04 झोपड़ी, 02 लोहे की स्थाई गुमटियॉ, 01 लकड़ी की स्थापित गुमटी, 02 काउण्टर, 02 लोहे के बोर्ड डायट के सामने मंदिर के पीछे निवास हेतु किये गये अतिक्रमण हटवाये गये तथा सड़क पटरी पर अतिक्रमण कर संचालित चाय नास्ते की 06 दुकानो की भटिठया व सेड तोडकर सड़क अतिक्रमण मुक्त कराया गया एवं एक ट्रक अतिक्रमण सामग्री स्थल से हटाया गया। नगर निगम द्वारा रूपया 5.700,00 (पॉच हजार सात सौ रूपया मात्र) का जुर्माना भी वसूला गया ।

इस कार्यवाही में प्राधिकरण की ओर से ओ0एस0डी0 श्री आलोक कुमार पाण्डेय, नगर मजिस्टेट,क्षेत्राधिकारी, नगर निगम से जोनल अधिकारी 1,4,व 6, नजूल विभाग के समस्त जिलेदर अतिक्रमण उन्मूलन के अतिरिक्त पुलिस/ पी0ए0सी0 बल,एवं एडीए प्रवर्तन दल मौजूद रहे।

इसी क्रम में आज अनधिकृत निर्माणों के विरूद्ध जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय द्वारा कार्यवाही करते हुये समस्त 06 जोन में कुल 12 चालान, 37 नोटिस निर्गत की गयी।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारी के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

ए0के0 पाण्डेय
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

प्रतिलिपिः– सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेशित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाषित कराने का कष्ट करें।

14.6.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क